न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 6ए/02/2022

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक प्रदीप शर्मा, कार्यालय जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

व्यवस्थापक जीएसएस मातूकी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 ए

उपस्थित :–
1–पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,
2–श्री विमलसिंह अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 22.11.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2022 को अप्रार्थी की दुकान जीएसएस मातुकी तहसील पहाड़ी का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक 201 किग्र बीपीएल, 1424 किग्रांम एपीएल, 219 किग्रांम, 1547.45 किग्रा पीएमजी के एवाई गेहूं कुल 3391.45 किग्रां उपलब्ध था। भौतिक सत्यापन पर कुल 3391.45 किलो ग्रांम के स्थान पर 4200 किग्रांम गेहू पाया गया है जो कि वांछित स्टॉक से 808.55 किग्रा गेहूं अधिक था। मौके पर अधिक पाये गये 808.55 किग्रा गेहूं बाबत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा न कोई वैद्य दस्तावेज न ही कोई संतोषप्रद जबाब प्रस्तुत किया गया। डीलर द्वारा स्वयं के लाभ के लिए गेहूं की उक्त मात्रा पात्र उपभोक्ताओं को वितरित नहीं कर कालाबाजारी की नियत से बचाई है, साथ ही डीलर द्वारा वितरण हेतु प्रयुक्त कांटे की जांच करने पर उसके द्वारा कम बजन दिया जाना पाया गया। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 808.455 किग्रा गेहूं को जप्त सरकार किया गया है। प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया है कि जप्त किये गये अधिक गेंहू 808.55 किग्रा. को राजसात किया जावे।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को धारा 6बी ई.सी.एक्ट का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया है। उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी पैरोकार रसद ने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 10.10.2021 को अप्रार्थी डीलर की दुकान की जांच की गई थी। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक 201 किग्र बीपीएल, 1424 किग्रांम एपीएल, 219 किग्रांम, 1547.45 किग्रा पीएमजी के एवाई गेहूं कुल 3391.45 किग्रां उपलब्ध था। भौतिक सत्यापन पर कुल 3391.45 किलो ग्रांम के स्थान पर 4200 किग्रांम गेहू पाया गया है जो कि वांछित स्टॉक से 808.55 किग्रा गेहूं अधिक था। मौके पर अधिक पाये गये 808.55 किग्रा गेहूं बाबत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा न कोई वैद्य दस्तावेज न ही कोई संतोषप्रद जबाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगूठा निशानी सत्यापन कर उन्हें गेंहू का वितरण नहीं कर बदनियती कालाबाजारी की नियत से गेंहू बचाया है। अप्रार्थी डीलर की ओर से जो शपथ पत्र उपभोक्ताओं के पेश किये गये हैं बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं। अप्रार्थी डीलर का यह कृत्य अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 का स्पष्ट उल्लंघन है। पैरोकार रसद ने अधिक मिले गेंहू को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं, गावों में नेटवर्क सिग्नल की समस्या बनी रहती है जिसके चलते जब नेटवर्क उपलब्ध होता है तभी उपभोक्ताओं को अगूंठा लगा जाते हैं चूंकि गावं में अधिकतर उपभोक्ता खेतीहर मजदूर व गरीब है जिनकी आमदनी का कोई नियमित जरिया नहीं है इसलिये ये लोग अपनी सुविधानुसार ही जरुरी राशन ले जाते हैं तथा शेष को डीलर के पास अमानत के तौर पर छोड जाते हैं तथा रुपये पैसों की व्यवस्था होजाने पर शेष राशन सामग्री ले जाते हैं, इसी क्रम में अधिकतर उपभौक्ताओं का गेंहू प्रार्थी के पास रखा हुआ था। इसमें प्रार्थी का कोई मैन्सरिया या कालाबाजारी का कोई उद्वेश्य नहीं है। दौराने जांच कोई भी उपभोक्ता ऐसा नहीं पाया जिसका अगूंठा लगवाया गया हो और उसे राशन सामग्री देने से इन्कार किया हो। किसी भी उपभोक्ता ने राशन सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं की है। डीलर पर जो कालाबाजारी को जो आरोप लगाया है वह कहीं भी साबित नहीं होता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि तोल कांटे में गड़वडी पाई गई, कांटे में क्या गड़वड़ी पाई कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और नाहीं कांटे को सील किया गया है, सारी कार्यवाही सरसरी तौर पर कर अप्रार्थी पर तत्यों के परे आरोप लगाये गये हैं जो गलत है। प्राधिकार पत्र की शर्त

.....3

जिला कलक्टर

संख्या 5 व 17सी का किस प्रकार से स्पष्ट उल्लंघन किया गया राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार माात्र प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा कि गई जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है वरन यह स्पष्ट करना होगा कि किस रिकार्ड तथ्यो तथा गवाहों के आधार पर डीलर को दोषी माना है तथा डीलर ने प्राधिकार पत्र किन शर्तों का एवं किस प्रकार उल्लंघन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर गौंर किया। अप्रार्थी के जबाब का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ताओं के शपथ पत्र डीलर द्वारा बाद की सोच के तहत तैयार कराये जाकर पेश किये गये हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं। वक्त निरीक्षण मौके पर अधिक मिले 808.55 किग्रां. गेंहू मिले हैं। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 का स्पष्ट उल्लंघन है। जप्त किये गये अधिक गेंहू 13.95 गेंहू को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा स्वीकार किया जाता है। जप्त किये गये अधिक 808.55 किग्रां गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त गेहूं को नियमानुसार उपभोक्ताओं को कीमतन वितरण कराया जाकर वितरण से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालानार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर